प्रति,

उपसचिव,

म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग,

मंत्रालय भोपाल,

विषय :– कारण बताओं सूचना पर ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रं. एफ–17–7/2016/38/1 दिनांक 19.02.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डॉ.मंजू भार्गव तृतीय चरण में महाविद्यालय में उपस्थित हुई । संबंधित द्वितीय चरण में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर में भी उपस्थित हुई । अतिरिक्त संचालक महादय द्वारा संबंधित को आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया गया और न ही वरियता सूची इस महाविद्यालय को उपलब्ध कराई गई ।

तात्कालीन अतिरिक्त संचालक द्वारा द्वितीय चरण काउसलिंग में आमंत्रण जारी करने उपरांत दिनांक 27.08.2015 को दूरभाष पर आदेशित किया गया कि डॉ.मंजू भार्गव आपके महाविद्यालय में प्रथम स्थान पर है परन्तु उनके द्वारा प्रथम चरण में मंदसौर महाविद्यालय में ज्वाइन करने के कारण उन्हें नहीं रखा गया और तृतीय चरण काउसलिंग आपके स्तर पर होगी ।

तृतीय चरण काउसलिंग में डॉ.मंजू भार्गव ने महाविद्यालय में उपस्थित होने पर अतिरिक्त संचालक से दूरभाष पर दिनांक 02.09.2015 को मार्गदर्शन चाहा गया । जिसमें उन्होनें संबंधित ने मंदसौर ज्वाइन करने के कारण आगामी अभ्यर्थी को ज्वाइन कराने हेतु कहा ।

वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन व आदेश के पालन में संबंधित को ज्वाइन नहीं कराया गया ।

सादर प्रेषित

संलग्न:– आवेदन पत्र

भवदीय
01.03.16.
डॉ0डी0के0गौतम
प्राचार्य
प्रभारी प्राचार्य
शा.महा.[illegible] चीनौराज
जिला गुना (म.प्र.)
फोन न.07546-246[illegible]

परिशिष्ट-3/ -31-

Speed Post

701/16
4/3/16

डॉ ए.एस. यादव,
उपसचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : कारण बताओं सूचना।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक 17–7/2016/38–1 भोपाल, दिनांक 19.02.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि अतिथि विद्वानों के चयन सम्बंधी प्रक्रिया 2015–16 के लिये संभाग स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया गया था, जिसमें डा.विजय दुबे प्राध्यापक वाणिज्य, भगवत सहाय महाविद्यालय,ग्वालियर , डॉ. साधना श्रीवास्तव, प्राध्यापक, एस.एल.पी. महाविद्यालय, मुरार डॉ. धर्म सिंह प्राध्यापक, विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर सम्मिलित थे। गठित समिति द्वारा ही सम्बंधित प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लिया गया था। अतः सम्बंधित प्रकरण में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की मनमानी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं श्रीमान जी का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. डॉ. मंजू भार्गव को प्रथम चरण में शासकीय पी.जी. महाविद्यालय मंदसौर आवंटित हुआ था।
2. डॉ. मंजू भार्गव ने दिनांक 22.08.2015 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया था।
3. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, पॉचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल, (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1516/499/आ.उ.शि./शाखा–2/2015 भोपाल, दिनांक 16.07.2015 के बिन्दु 7 के अनुसार अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2015–16 की जानकारियॉ एवं शर्ते शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1–9/2012/38–1 दिनांक 05.08.2014 एवं इसमें समय समय पर किये गये संशोधन के आधार पर सम्पन्न होगी।(संलग्न क्रमांक–01)
4. शासन का आदेश क्रमांक एफ 1–9/2012/38–1 दिनांक 05.08.2014 के बिन्दु क्रमांक 2.13 के अनुसार शर्त यह रहेगी कि चयनित आवेदक को एक बार महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में मौका दिये जाने के पश्चात न तो उनका स्थान परिवर्तन किया जायेगा और न ही उन्हें किसी अन्य महाविद्यालय में पद के विरूद्व आमंत्रण हेतु विचार किया जा सकेगा। (संलग्न क्रमांक–02)

   अतः यह बिन्दु स्पष्ट करता है कि डा.मंजू भार्गव द्वारा 22.08.2015 को पी.जी.महाविद्यालय, मंदसौर में ज्वाइन करने के पश्चात अन्य स्थान हेतु आवेदन की पात्रता नहीं थी।

5. शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों का ऑनलाईन आमंत्रण 2015–2016 में आवेदको हेतु आवश्यक निर्देश दिनांक 29.07.2015 को जारी किये गये, जिसमें शासनादेश दिनांक 05.08.2014 एवं इसके संशोधन जारी किये गये। उल्लेखनीय है कि इन संशोधनों में शासनादेश दिनांक 05.08.2014 के बिन्दु 2.13 में कोई संशोधन नहीं किया गया।
6. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1906/499/आ.उ.शि./शाखा–2/15 भोपाल, दिनांक 19.08.2015 के बिन्दु क्रमांक–05 में प्रथम चरण की प्रक्रिया के पश्चात की प्रक्रियाओं हेतु निर्देश जारी किये गये। जिसके अनुसार "प्रथम चरण पश्चात 22 अगस्त 2015 की स्थिति में 23 एवं 24 अगस्त 2015 को शेष बचे इच्छुक आवेदक आवेदन में दर्ज क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की जानकारी अनुसार क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे।(सलग्न क्रमांक–03)

S/02 3/3/16

परिशिष्ट-33

प्रथम चरण की अन्तिम ज्वाइनिंग दिनांक 22.08.2015 होने के कारण प्रथम चरण पश्चात 22.08.2015 की स्थिति में, शेष इच्छुक आवेदकों का आशय ऐसे आवेदकों से है जिन्हें महाविद्यालय आवंटित न हुआ हो और वे आवेदक जिन्हें महाविद्यालय आवंटित तो हुआ किन्तु उन्होंने ज्वाईन नहीं किया। अतः प्रथम चरण की अन्तिम ज्वाइनिंग दिनांक 22.08.2015 तक जिन आवेदकों ने ज्वाईन कर लिया था। उन्हें दिनांक 22.08.2015 की स्थिति में शेष बचे इच्छुक आवेदकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.08.2015 को पी.जी. महाविद्यालय, मंदसौर में ज्वाइन करने के कारण डॉ. मंजू भार्गव दिनांक 22.08.2015 की स्थिति में शेष बची वरीयताओं हेतु नियमानुसार उपयुक्त आवेदक नहीं थी तथा उन्हें द्वितीय चरण की प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं थी।

7- डॉ. मंजू भार्गव ने द्वितीय चरण की प्रक्रिया में आवेदन करते समय यह तथ्य छुपाया था। कि उन्होने प्रथम चरण में दिनांक 22.08.2015 को ज्वाइन कर लिया है।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. मंजू भार्गव के द्वितीय चरण के आवेदन पर शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–9/2012/38–1 दिनांक 05.08.2014 के बिन्दु क्रमांक 2.13, इस पत्र के 29.07.2015 को जारी संशोधन तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1906/499/आ.उ.शि./शाखा–2/15 भोपाल, दिनांक 19.08.2015 के बिन्दु क्रमांक 05 का पूर्ण रूपेण पालन करते हुये निर्णय लिया गया था। यह किसी प्रकार से स्वेच्छाचारी निर्णय नहीं था और न ही नियमों में कोई शिथिलता बरती गयी।

पुनः निवेदन है कि डा.मंजू भार्गव के संबंध में शासनादेशों का पूर्ण पालन करते सही निर्णय लिया था। इसी के अनुरूप कार्यवाही की गई। अतः जारी कारण बताओं सूचना निरस्तीकरण योग्य है ,जिसे नस्तीबद्ध किये जाने की कृपा करे।

सलग्न – आदेश 01 से तीन तक

(डॉ. के.एस. सेंगर)
प्राचार्य
शासकीय एम.एल.बी.उत्कृष्ट महाविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)
पूर्व अतिरिक्त संचालक
उच्चशिक्षा,ग्वालियर –चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

PRINCIPAL
M.L.B. Govt. College of Excellence
Gwalior (M.P.)

पृष्ठांकन क्रमांक 282 दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, ग्वालियर चम्बल संभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. के.एस. सेंगर)
प्राचार्य
शासकीय एम.एल.बी.उत्कृष्ट महाविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)
पूर्व अतिरिक्त संचालक
उच्चशिक्षा,ग्वालियर –चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)